4

अध्याय

वित्तीय परिव्यय एवं परिणाम

वित्तीय परिव्यय एवं परिणाम

पिछले दो वर्षों के दौरान योजना के अंतर्गत बजट प्रावधानों तथा व्यय के ब्यौरे नीचे दिए गए हैंः–

(करोड़ रू. में)

वर्ष	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	व्यय	सं.अ. के संबंध में व्यय का प्रतिशत
2013–14	450.00	550.00	522.70	95.03
2014–15	550.00	500.00	427.53 (दिसम्बर, 2014 तक)	85.51

- वित्तीय वर्ष 2013–14 के दौरान, 550 करोड़ रूपए की बजटीय राशि में से 522.70 करोड़ रूपए की राशि का उपयोग हो गया था, जो 2012–13 के व्यय (390.76 करोड़ रूपए) से 33.76% की वृद्धि को अभिव्यक्त कर रहा है। शेष व्यय न की गई 27.31 करोड़ रूपए की राशि पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए अनिवार्य प्रावधान (27.19 करोड़ रूपए) और कोयला नियंत्रक संगठन (0.12 करोड़ रूपए) के वेतन की वजह से थे। चालू वित्त वर्ष (2014–15) का योजनागत आबंटन 550 करोड़ रूपए है। इस राशि में से 427.53 करोड़ रू. दिसम्बर, 2014 तक उपयोग में लाए गए हैं जो कुल योजनागत आबंटन का 85.51% होता है। वित्त वर्ष 2015–16 के लिए योजनागत आबंटन 551.00 करोड़ रू. है।
- 55.00 करोड़ रूपए का गैर–योजनागत बजट (2015–16) मुख्यतः सचिवालय (आर्थिक सेवाओं), कोयला नियंत्रक के संगठन, कोयला खान पेंशन योजना, 1998 के अधीन अपेक्षित सांविधिक रूप से सरकारी अंशदानों के भुगतान तथा कोयला ब्लॉकों के आबंटन के लिए स्थापित किए गए नए नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी के लिए अपेक्षित निधियों के लिए हैं।

आंतरिक और अतिरिक्त बजटीय संसाधन

कोयला सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की वार्षिक योजना (2015–16) घटक 12585.50 करोड़ रूपए है, जिसका आंतरिक तथा अतिरिक्त बजट संसाधनों से प्रावधान किया जाना है। पीएसयू–वार बजट आबंटन और व्यय का व्यापक ब्यौरा नीचे दिया गया हैः–

(करोड़ रु. में)

पीएसयू के नाम	2013-14			2014-15			2015-16
	ब.अ.	सं.अ.	व्यय	ब.अ.	सं.अ.	व्यय (दिस. 14 तक)	ब.अ.
सीआईएल	5000.00	5000.00	4329.86	5225.00	5225.00	2815.58	5990.50
एनएलसी	2490.14	2490.14	1817.32	2936.00	2520.00	1152.88	4205.00
एससीसीएल	4000.00	2900.00	2455.55	3850.00	3760.00	1867.74	2390.00
कुल	11490.14	10390.14	8738.23	12011.00	11505.00	5836.20	12585.50

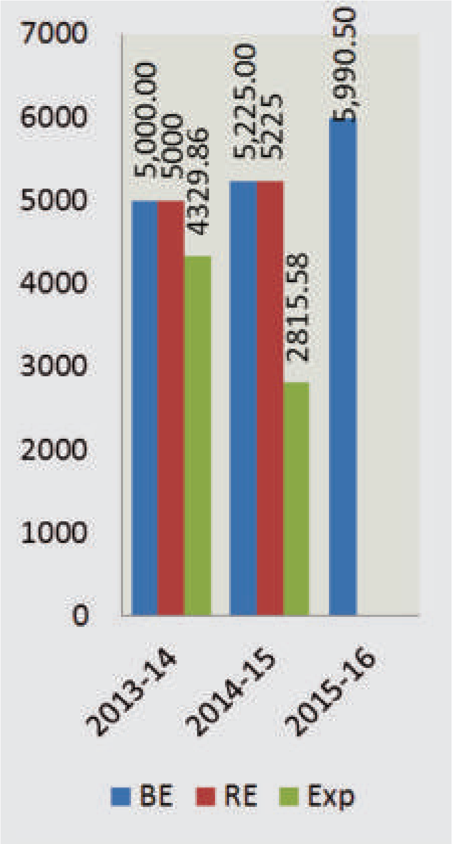

सीआईएल

एनएलसी

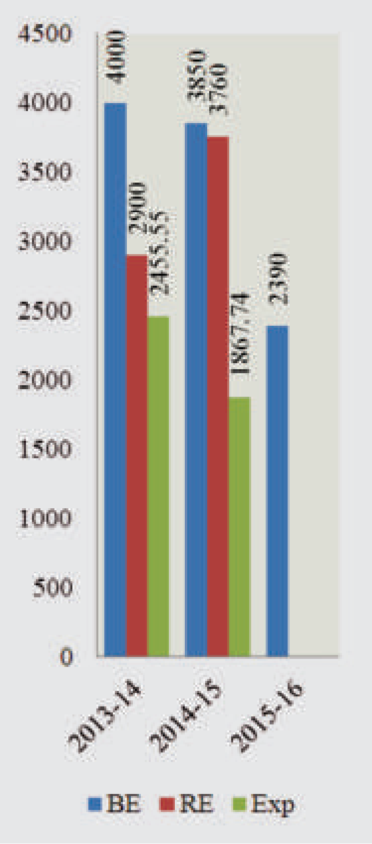

एससीसीएल

➢ चालू वित्त वर्ष (2015–16) के स्कीम–वार योजनागत तथा गैर–योजनागत आबंटन एवं पीएसयू के आईईबीआर प्रावधान नीचे दिए गए हैं:–

(करोड़ रू. में)

क्र.सं.	स्कीम/कार्यक्रम का नाम	योजना	गैर योजना	*आईईबीआर
1.	सचिवालय आर्थिक सेवाएँ	1.25	19.10	0.00
2.	सीएमपीएफओ के प्रशासनिक प्रभारों की आंशिक प्रतिपूर्ति सहित कोयला खान पेंशन योजना 1998 (सीएमपीएस 98)	0.00	22.35	0.00
3.	कोयला नियंत्रक संगठन	1.00	8.55	0.00
4.	नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी	0.00	5.00	0.00
5.	कोयला खानों में संरक्षण और सुरक्षा	170.00	0.00	0.00
6.	कोलफील्ड क्षेत्रों में परिवहन अवसंरचना का विकास	75.00	0.00	0.00
7.	अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रम	18.00	0.00	0.00
8.	कोयला तथा लिग्नाइट का क्षेत्रीय अन्वेषण	103.50	0.00	0.00
9.	पर्यावरणीय उपाय तथा धंसाव नियंत्रण	0.45	0.00	0.00

क्र.सं.	स्कीम/कार्यक्रम का नाम	योजना	गैर योजना	*आईईबीआर
9.	गैर–सीआईएल ब्लाकों में विस्तृत अन्वेषण	151.20	0.00	0.00
10	पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लिए एकमुश्त प्रावधान	30.60	0.00	0.00
11.	कोयला धारक क्षेत्रों के अधिग्रहण के लिए मुआवजे का भुगतान	0.00	1100.00	0.00
12.	सार्वजनिक उद्यम में निवेश	0.00	0.00	12585.50 [CIL=5990.50 SCCL=2390.00 NLC=4205.00]
13	कुल	551.00	55.00	12585.50

(#टीएसपी घटक सहित)

पीएसयूज द्वारा अपने आंतरिक और अतिरिक्त बजटीय संसाधनों (आईईबीआर) से कार्यान्वित की जाने वाली परियोजनाएं

कोयला पीएसयूज द्वारा अपने स्वयं के आंतरिक एवं अतिरिक्त बजटीय संसाधनों (आईईबीआर) का प्रयोग करते हुए परियोजनाएं कार्यान्वित की जाती हैं। 100 करोड़ रु. तथा उससे अधिक की लागत वाली परियोजनाओं के ब्यौरे तथा कंपनी–वार और परियोजना–वार स्थिति अनुबंध में दी गई है।

लेखापरीक्षा पैरा

वित्त मंत्रालय ने बताया है कि नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक (सी एंड एजी) ने वर्ष 2014–15 के लिए कोयला मंत्रालय से संबंधित कोई लेखापरीक्षा टिप्पणी नहीं भेजी हैं।